भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2526
जिसका उत्तर मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाएगा

फूड पैकेटों पर अनिवार्य अनुदेश

2526. श्री श्याम सिंह यादवः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी फूड पैकेट और सभी प्रकार के पेय पदार्थों के पैकेट/लेबल पर सामग्री तथा वजन को प्रिंट करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त घोषणा की सत्यता की जांच हेतु कोई तंत्र है; और
(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान चूककर्ताओं के विरुद्ध कितने मामले सामने आए हैं और क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क), (ख) और (ग): विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कतिपय घोषणाएं जैसे विनिर्माता/पैककर्ता/आयातक का नाम एवं पता, वस्तु का नाम, निवल मात्रा, विनिर्माण का माह एवं वर्ष, खुदरा बिक्री मूल्य और उपभोक्ता सेवा केंद्र के ब्यौरे आदि किया जाना अपेक्षित है।

प्रत्येक पूर्व-पैकबंद खाद्य वस्तुओं के मामले में खाद्य, सुरक्षा एवं मानक (पैकिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 का अनुसरण किया जाता है। पोषकतत्वों से संबंधित जानकारी को उक्त विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम और नियम का प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और वे नियमों के उल्लंघन अर्थात् वस्तु की निवल मात्रा की घोषणा न करना आदि के संबंध उपयुक्त कार्रवाई करती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किए गए निरीक्षणों/प्राप्त हुई शिकायतों और बुक किए गए मामलों के ब्यौरे **अनुलग्नक** पर दिए गए हैं।

****

अनुलग्नक

'फूड पैकेटों पर अनिवार्य अनुदेश' के संबंध में दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2526 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

पैकेज में रखी गई वस्तुएं नियम (पी.सी.आर) के संबंध में प्रवर्तन डाटा																
		पी.सी.आर. मामलों की कुल संख्या : शिकायत एवं निरीक्षण					घोषणाओं के उल्लंघन के संबंध में बुक किए गए मामले					पी.सी.आर. के संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मामले की संख्या				
क्रम सं.	वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	मामलों की संख्या	620198	573457	570806	363333	127713	34333	26356	29006	25346	16685	250	222	357	282	292